न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला–सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भीचर आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 97 / 2019 आवेदन 251–क

रामलाल पुत्र मुन्नाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। – प्रार्थी

ब ना म

1. श्रवण पुत्र खेताराम
2. श्रवण पुत्र भूराराम
3. श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मणराम
4. श्रवणलाल पुत्र चतराराम
5. लक्ष्मणराम की पत्नी शांति देवी
6. सन्तरा देवी पुत्री चतराराम
7. संतोष देवी पत्नी जीवनराम
8. हणमान पुत्र किशनाराम
9. हीरालाल पुत्र मंगुराम
10. कैलाश पुत्र जीवणराम
11. गोपाल पुत्र भूराराम
12. गोविन्दराम पुत्र बिरदाराम
13. चन्द्रा पुत्र खेताराम
14. जमना पत्नि किशनाराम
15. दिलीपकुमार पुत्र लक्ष्मणराम
16. नारायण पुत्र भूराराम
17. नारायणी देवी पत्नि मांगूराम
18. पेमाराम पुत्र खेताराम
19. पोखरमल पुत्र भूराराम
20. बेगाराम पुत्र भूराराम
21. बन्शीलाल पुत्र पीथाराम
22. बसन्त कुमार पुत्र जीवणराम
23. बोदूराम पुत्र किशनाराम
24. बोदूराम पुत्र पीथाराम
25. भगवान सहाय पुत्र पीथाराम
26. भगवान सहाय पुत्र चतराराम

जाति जाट निवासीगण ग्राम चक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज०)

27. भूराराम पुत्र किशनाराम
28. मदनलाल पुत्र मंगूराम
29. मूलचन्द पुत्र पीथाराम
30. मूलीदेवी पुत्री खेताराम
31. मालीराम पुत्र भूराराम
32. रूकमादेवी पुत्री खेताराम
33. चतराराम की पत्नी रूपनदेवी

} जाति जाट निवासीगण ग्राम चक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज०)

34. S.B.I. बैंक शाखा दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरियेः शाखा प्रबन्धक ।
35. सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरियेः शाखा प्रबन्धक ।
36. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरियेः शाखा प्रबन्धक ।
37. S.B.I. बैंक शाखा कुली–खाचरियावास तहसीले दांतारामगढ़ जिला सीकर जरियेः शाखा प्रबन्धक।
38. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
39. मेवला पुत्र दौला जाति जाट निवासी चक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
40. हुक्मा पुत्र दौला जाति जाट निवासी चक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 8, 13, 18, 23, 27 की ओर से वकील श्री बंशीधर बाज्या व अप्रार्थी संख्या 39, 40 की ओर से वकील श्री नन्दलाल धायल हाजिर आये।
3. अन्य समस्त अप्रार्थीगणों के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य दिनांक – 02.09.2023

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 760, 761, 762 तन ग्राम चक पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ़ में अवस्थित है। उपरोक्तानुसार आवेदक को अपने उक्त खेत में आने–जाने हेतु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 33 की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 795 की

पश्चिमी सीमा के सहारे– सहारे होते हुए खसरा नम्बर 760,761, 762 की दक्षिणी सीमा के सहारे – सहारे होते हुए रास्ता खसरा नम्बर 758 गैर मुमकीन रास्ता 13 फुट चौड़ा व 454 मीटर लम्बा (लगभग) रास्ता करवाना चाहता हूँ। चाहे गये रास्ते का अंकन संलग्न नक्शा ट्रेश में मार्क ए०बी० सी० से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक के पास कोई वैकल्पिक रास्ता मौका पर नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुँचने हेतु अप्रार्थी संख्या एक लगायत 33 की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता सुगम एवं निकटतम है व धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना आवेदक/प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग करने से सम्पूर्णतया वंचित हो जायेगा। प्रार्थी यह आवेदन पत्र अपनी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के सम्बंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहा है एवं इस्तदुआ करता है कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 796 तन ग्राम चक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के उपयोग–उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता सुगम व नजदीक है जो भूमि खसरा नम्बर 795 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे एवं खसरा नम्बर 760, 761, 762 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे रास्ता खसरा नम्बर 758 गैर मुमकीन रास्ता तक 13 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/आवेदक को अपने खेत में आवागमन एवं पशुधन लाने ले जाने की निरन्तर व दिन प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है तथा इस रास्ते के अलावा आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है इसलिए कृषि भूमियों खसरा नम्बर 795, एवं खसरा नम्बर 760, 761, 762 तन ग्राम चक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में से रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। आवेदक को अपने खेत में आवागमन एवं पशुधन लाने ले जाने की निरन्तर व दिन प्रतिदिन आवश्यकता बनी

रहती है तथा इस रास्ता के अलावा आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा रास्ता में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 795 एवं खसरा नम्बर 760, 761, 762 में आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः यह इस्दुआ प्रस्तुत की कि आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवदेक की भूमि खसरा नम्बर 796 ग्राम चक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में आने जाने हेतु ग्राम चक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 795 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे होते हुये मार्क ए से बी एवं खसरा नम्बर 760, 761, 762 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे होते हुए मार्क "बी से सी" रास्ता खसरा नम्बर 758 गैर मुमकीन रास्ता तक 13 फुट चौड़ा व 454 मीटर लम्बा के लगभग रास्ता तथा इस रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि तय करके अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 33 को दिलायी जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वासित करके रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज कर अलग खसरा नम्बर डालकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 8, 13, 18, 23, 27 की ओर से वकील श्री बंशीधर बाज्या हाजिर आये। अन्य समस्त अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तत्पश्चात् तहसीलदार दांतारामगढ़ रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 39 व 40 को आदेश 01 नियम 10 के तहत पक्षकार संयोजित किया जिनकी ओर से अधिवक्ता नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानियां हाजिर आये।

3. तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक करड़ द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में जांच कर धारा 251–क के तहत रिपोर्ट पेश की जिसमें प्रार्थी की ही भूमि खसरा संख्या 810 हेतु रास्ते का प्रस्ताव खसरा नम्बर 811 से गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 1156/877 पर पहुंच हेतु प्रेषित किया। जिसके पश्चात् प्रार्थी ने आदेश 1 नियम 10 के तहत खसरा नम्बर 811 के खातेदारों को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया गया।

4. प्रार्थी ने एक आवेदन अंतर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खसरा नम्बर 811 से रास्ता दिये जाने बाबत् पेश किया जिसका जवाब अप्रार्थी संख्या 39 व 40 ने पेश किया व धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का भी जवाब पेश किया व एक आवेदन बाबत् तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट को रिकार्ड से हटाने हेतु पेश किया। उक्त समस्त आवेदनों की सुनवाई पश्चात् तहसीलदार दांतारामगढ़ को स्थिति स्पष्ट करने हेतु तहरीर जारी की गयी जिस संबंध में तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.04.2024 न्यायालय में पेश की गयी।

5. बहस उभयपक्षीय सुनी गयी जिसमें प्रार्थी ने तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पेश दोनों रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् कथन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 39 व 40 ने अपने जवाब में लिखित कथनों के अतिरिक्त यह कथन किया कि आवेदक ने रास्ता भूमि खसरा नम्बर 760, 761, 762 से चाहा है न की खसरा नम्बर 811 से। अतः चाहे गये रास्ते के अलावा रास्ता नहीं प्रदान किया जा सकता। यह भी कहा कि तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा खसरा नम्बर 810 में रास्ते हेतु प्रस्ताव भेजा है जबकि रास्ता खसरा नम्बर 796 हेतु चाहा था जो नियम विरूद्ध है। वादी ने जो अभिवचन किये है उससे बाहर न्यायालय अनुतोष नहीं दे सकता व अगर खसरा नम्बर 811 से रास्ता चाहा होता तो आवेदन में संशोधन पेश करना था जो आदिनांक तक प्रार्थी ने नहीं पेश किया अतः समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. मैने प्रार्थना पत्र, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट, वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस, जवाब अप्रार्थीगण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 का अवलोकन व मनन किया। धारा 251–क में मूलतः रास्ता 3 शर्तें पूरी होने पर दिये जाने का प्रावधान है:–

1. वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो।
2. निकटतम रास्ता ही देय है।
3. रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हो।

वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा सं. 796 ग्राम चक पटवार हल्का चक दांतारामगढ़ में पहुंच हेतु रास्ता चाहा था जो भूमि खसरा स. 795, 760, 761, 762 से होते हुए 454 मीटर लम्बा रास्ता चाहा था। जिस संबंध मे भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा रिपोर्ट मंगवायी जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रार्थी की खसरा स. 796 से लगती हुई भूमि खसरा सं. 810 अवस्थित है तथा खसरा सं. 810 से सबसे नजदीकी रिकोर्डड रास्ता खसरा सं. 1156/877 अवस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र, तहसीलदार व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट व जबाब के आधार पर यह प्रमाणित पाया गया की प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 796 व 810 दोनो में ही वैकल्पिक मार्ग का अभाव है अतः प्रथम शर्त पूरी होती है कि मार्ग का अभाव है।

अब सवाल यह उठता है की प्रार्थी ने अगर अपने प्रार्थना पत्र में खसरा सं. 796 मे रास्ता चाहा है तो तहसीलदार द्वारा उसके अन्य जुड़ते खसरे में रास्ते के संबंध में धारा 251–क के तहत रिपोर्ट प्रेषित की जा सकती है व न्यायालय द्वारा खसरा सं. 810 जो प्रार्थी की ही जुड़ती हुई भूमि हो में रास्ता दिया जा सकता है क्या? इस संबंध में विधिक बिंदुओ अनुसार प्रार्थी ने अपना प्रा. पत्र अतर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर खसरा सं. 811 से रास्ता चाहने बाबत पेश कर दिया गया व उक्त खातेदारों को प्रकरण मे पक्षकार भी बना लिया है। अतः विधिक त्रुटि

किसी प्रकार की नही होती जब खातेदारों को पक्षकार बना लिया है व धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश कर दिया है। धारा 251–क में मूलतः प्रार्थी अपनी जोत तक पहुंच हेतु रास्ता चाह सकता है तथा जब दो खसरे साथ–साथ हो तो निकटतम दूरी से ही रास्ता दिया जा सकता है। पत्रावली से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 796 में अगर रास्ता दिया जाता है तो उक्त रास्ता लगभग 500 मीटर दूरी का है तथा अगर भूमि खसरा संख्या 810 में रास्ता प्रदान किया जाता है तो रास्ता 136 मीटर की दूरी का है जो लगभग 4 गुणा छोटा है। तथा न्याय की भी यही मंशा है कि जटिलता में न जाकर सुलभ व सरल तरीके से न्याय प्रदान किया जावे न कि विधिक पेचीदगियों में जाया जाये।

अतः न्याय की मंशा के अनुरूप व धारा 251–क के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी को अपनी अन्य जोत खसरा संख्या 810 तक रास्ता दिया जाना ही सही है न कि खसरा नम्बर 796 से होकर 4 गुणा लम्बा रास्ता। अतः उक्त रास्ता ही निकटतम दूरी का पाया जाता है जो खसरा संख्या 811 से होकर गै0मु0 रास्ते खसरा संख्या 1156/877 तक जो कि 136 मीटर दूरी का है।

तृतीय शर्त की रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है न कि सुविधाजनक उपयोग हेतु भी सही पायी जाती है क्योंकि प्रार्थी की दोनों जोतों खसरा संख्या 796 व 810 दोनों में ही रास्ते का अभाव है अतः आवश्यकता आत्यंतिक है न कि सुविधाजनक उपयोग हेतु व चाहा गया एवं प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम दूरी का है।

7. अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत भूमि खसरा नम्बर 810 में जाने हेतु खसरा नम्बर 811 ग्राम चक पटवार हल्का चक तहसील दांतारामगढ में से 0.0544 हैक्टर अर्थात 544 वर्गमीटर जिसकी डी.एल.सी. दर रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी कीमत 47811 रूपये अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (1) (ii)

(a) के तहत प्रतिकर के रूप में प्रार्थी द्वारा कोष में जमा कराने के पश्चात् दिया जावे। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्त रास्ते को मौके पर नपती अनुसार सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। उक्त रास्ता गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज होगा जिसमें प्रार्थी को रास्ते के अलावा अन्य कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशानदेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ